

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

**INDEX**

IN

**RESPONSE AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 4  
(UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD)**

IN

Original Application No. 54 of 2025

Yudhveer Singh Chauhan

Applicant

Versus

Uttarakhand Forest Department & Ors.

Respondent(s)

S. No.	Particulars	Page. No.
1.	Index	1
2.	Response Affidavit	2-4
3.	<b><u>Annexure No. 1</u></b> (Copy letter dated 03.04.2025)	5
4.	<b><u>Annexure No. 2</u></b> (Copy of inspection report and letter dated 25.04.2025)	6-11

Date: May 2025



*Mukesh Verma*

**MUKESH VERMA**  
Advocate for UKPCB  
Chamber No. 50, Old Block,  
Supreme Court of India, New Delhi

*Yudhveer Singh Chauhan*

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
 PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI  
**RESPONSE AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 4**  
**(UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD)**


IN

Original Application No. 54 of 2025

Yudhveer Singh Chauhan

Versus

Uttarakhand Forest Department & Ors.



Applicant

Respondent(s)


AFFIDAVIT of Dr. Parag Madhukar Dhakate, aged about 48 years S/o Shri. M. B. Dhakate, presently posted as Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun, Uttarakhand.

Deponent

I, the above-named deponent does hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That the deponent is presently posted as the Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board, and is competent to sign and swear the instant response affidavit.

That the deponent has gone through the contents of the above-noted Original Application (hereinafter referred to as '*the said application*') along with the annexure filed by the applicant and has fully understood the contents thereof and is in a position to reply to the same.



*[Handwritten signature]*

3. That the Hon'ble Tribunal vide order dated 04.02.2025 was *inter alia* pleased to direct as under: -

“ .....

4. Issue notice to the respondents for filing their response/reply by way of affidavit at least one week before the next hearing date. If any respondent directly files the reply without routing it through his advocate, then the respondent will remain virtually present to assist the Tribunal. The applicant is directed to serve the respondents and file the affidavit of service at least one week before the next date of hearing.

.....”

4. That in compliance with the afore-mentioned direction of the Hon'ble Tribunal, instant affidavit is being filed.
5. It is humbly submitted that pursuant to the order dated 04.02.2025 of the learned National Green Tribunal (hereinafter referred as the NGT), Member Secretary, UKPCB vide letter dated 03.04.2025 directed the Regional Officer, UKPCB, Dehradun for the submission of inspection and factual report. In this connection a copy of letter dated 03.04.2025 is being filed and marked as **Annexure 01** to this affidavit.
6. That the Regional Officer, UKPCB, Dehradun vide letter dated 25.04.2025 submitted to the Member Secretary the field inspection report conducted by the Regional Office, Uttarakhand Pollution Control Board. Wherein, said inspection conducted in the presence of Shri Pritam Dimri, Mandi Inspector, and the complainant on 24.04.2025. Furthermore, it is respectfully submitted that project proponent obtained permission for felling of 18 trees from the Chief Horticulture officer, Dehradun. As per the inspection report only 18



*[Handwritten Signature]*

trees were felled. In this connection, the letter no. 355-250, dated 25.04.2025 with the inspection report are collectively being marked and filed as Annexure No.2 with this response affidavit.

7. That, the cold storage facility covered in green category of industrial categorisation of CPCB, project proponent has not obtained consent to establish for construction of cold storage.
8. That the deponent is a responsible Government servant having the highest regard for the Hon'ble Tribunal and order passed by them. The deponent has always made his sincerest efforts to carry out the orders passed by this Hon'ble Tribunal in its letter and spirit and shall continue to do so in the future.

  
Deponent

Verification: -


Verified at Dehradun on the ..5.. day of May 2025, that the contents of the response affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief based on the official record and nothing is false, and no material has been concealed therein.



Dated: May 2025

Q.N. 2271  
05/5/25   
Deponent

This affidavit is sworn before me by  
Shri.....Dr. Anurag Nath Chaudhary.....  
who is identified by Shri.....  
at Dehradun on.....05/5/25.....

  
(Rajender Singh Negi)  
Advocate & Notary, Dehradun



36

Annexure-1

मुख्यालय  
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"

46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून  
E-mail : ukpcblegalcell@gmail.com, दूरभाष : 0135-2607092

पत्रांक : यूकेपीसीबी / एच.ओ. / सा0-183-878 / 2025 / 92,

दिनांक 03.04.2025

एन0जी0टी0 मैटर

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी  
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
क्षेत्रीय कार्यालय,  
ई-115 नेहरू कॉलोनी, देहरादून।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या -54/2025 युधवीर सिंह चौहान बनाम वन विभाग उत्तराखण्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.02.2025 के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 हरित अधिकरण, नई दिल्ली के मूल आवेदन सं0 54/2025 युधवीर सिंह चौहान बनाम वन विभाग उत्तराखण्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.02.2025 (प्रति संलग्न) और आवेदक के आवेदन (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। प्रकरण विकास नगर कृषि मंडी, विकासनगर देहरादून, उत्तराखण्ड द्वारा कोल्ड स्टोरेज के निर्माण तथा वृक्षों के कटान से संबंधित है। प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 14.05.2025 को निर्धारित की गयी है।

तत्क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त स्थल का निरीक्षण कर वर्तमान कार्यों की स्थिति, प्रस्तावित कार्य-योजना की तथ्यात्मक सूचना, विवरण, वृक्षों के कटान आदि की सूचना एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेशों का ससमय अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय

(डा0 पराग मधुकर धकाते)  
सदस्य सचिव

o/c  
fil



**LIFE**  
Lifestyle For  
Environment

### क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
ई-115, नेहरू कॉलोनी, देहरादून-248001  
टेली फोन नं.-0135-3593200

पत्रांक सं०-यूकेपीसीबी/आरओडी/एन०जी०टी०-130 / 2025-26 / 355 - 250

दिनांक: 25/04/25

सेवा में,

सदस्य सचिव महोदय,  
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
गौरा देवी पर्यावरण भवन,  
46बी, आई०टी० पार्क, सहस्त्रधारा रोड़,  
देहरादून।


विषय- मा० एन०जी०टी० में योजित मूल आवेदन संख्या-54/2025 युद्धवीर सिंह चौहान बनाम वन विभाग उत्तराखण्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.02.2025 के अनुपालन में निरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा० एन०जी०टी० में योजित मूल आवेदन संख्या-54/2025 युद्धवीर सिंह चौहान बनाम वन विभाग उत्तराखण्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.02.2025 के अनुक्रम में बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक संख्या-यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा-183-878/2025/22 दिनांक 03.04.2025 के अनुपालन में विषयगत प्रकरण पर इस कार्यालय द्वारा श्री प्रीतम डिमरी (मण्डी निरीक्षक) व शिकायतकर्ता श्री युद्धवीर सिंह चौहान की उपस्थिति में दिनांक 24.04.2025 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण आख्या संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

  
(अमित पोखरियाल)  
क्षेत्रीय अधिकारी

०/८५

मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या-54/2025 युद्धवीर सिंह चौहान बनाम वन विभाग उत्तराखण्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.02.2025 के अनुपालन में निरीक्षण के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक संख्या-यूकेपसीबी/एच.ओ./सा0-183-878/2025/22 दिनांक 03.04.2025 के अनुपालन में विकासनगर कृषि मण्डी समिति विकास नगर देहरादून का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 24.04.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री प्रीतम डिमरी (मण्डी निरीक्षक) व शिकायतकर्ता श्री युद्धवीर सिंह चौहान उपस्थित थे।

1. प्रकरण विकासनगर कृषि मण्डी देहरादून द्वारा कोल्ड स्टोरेज के निर्माण एवं वृक्षों के पातन से सम्बन्धित है।
2. निरीक्षण के समय पाया गया कि मण्डी समिति विकासनगर द्वारा वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में कार्यालय प्रभागी वनाधिकारी, कालसी-भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी के पत्र संख्या-1767/9-1 कालसी दिनांक 27.11.2024 के माध्यम से 18-वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में मूल्यांकन कर विवरण कृषि उत्पादन मण्डी समिति विकासनगर को प्रेषित किया गया है। (संलग्नक-1)
3. निदेशालय उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड मण्डी भवन रूद्रपुर, उधमसिंह नगर के पत्रांक-उ0कृ0उ0वि0बो0/विकासनगर/2024-1946 दिनांक 07.12.2024 के माध्यम से वृक्षों के कटान की सशत स्वीकृति निर्गत की गई है। (संलग्नक-2)
4. कार्यालय मुख्य उद्यान अधिकारी देहरादून के पत्रांक संख्या-3294/वृक्ष पातन/2025 दिनांक 19.11.2024 के माध्यम से उक्त वर्णित स्थल पर 18-आम के वृक्षों के पातन की स्वीकृति दी गई है। (संलग्नक-3)
5. निरीक्षण के दौरान वर्तमान कार्यों की स्थिति एवं प्रस्तावित कार्य योजना के संदर्भ में अवगत कराना है कि प्रस्तावित स्थल पर 1000 (100x 10) मीट्रिक टन क्षमता के कोल्ड स्टोरेज की स्थापना का कार्य गतिमान है। निरीक्षण के दौरान निर्माणाधीन कोल्ड स्टोरेज के समीप लगे हुए 14-आम के वृक्ष जीवित पाये गये। कूल 32-वृक्षों में से 18 वृक्षों का पातन किया गया, जिसकी स्वीकृति कार्यालय मुख्य उद्यान अधिकारी देहरादून के पत्रांक संख्या-3294/वृक्ष पातन/2025 दिनांक 19.11.2024 के द्वारा प्राप्त की गई है। निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ संलग्न हैं। (संलग्नक-4)
6. मण्डी समिति विकास नगर द्वारा कोल्ड स्टोरेज की स्थापना हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति प्राप्त नहीं की गई है।

आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

  
(एस0एस0 चौहान)  
सहा0वैज्ञा0 अधिकारी

  
(अमित पोखरियाल)  
क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय-प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी।  
पत्रांक-1767/9-1 कालसी, दिनांक 27-11-2024

सेवा में,

सचिव,  
कृषि उत्पादन मण्डी समिति,  
विकासनगर, देहरादून।

**विषय-** वृक्षों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में।

**सन्दर्भ-** आपका पत्रांक-कृ०उ०म०स०/2024/1079, दिनांक 19.11.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र से आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि कोल्ड स्टोरेज के निर्माण हेतु चयनित भूमि पर 32 आम के वृक्ष मौजूद हैं, जिसमें निर्माणाधीन चाहरदीवारी के भीतर 09 वृक्ष, कोल्ड स्टोरेज मार्ग पर 06 वृक्ष, कोल्ड स्टोरेज के पीछे 01 वृक्ष, कोल्ड स्टोरेज के प्रवेश द्वार पर 02 कुल 18 वृक्ष अनुपयोगी हैं, जो निर्माण कार्य में अवरुद्ध हैं, जिनके पातन की अनुमति मुख्य उद्यान अधिकारी देहरादून द्वारा अपने पत्रांक 3294/वृक्षपातन/2024-25, दिनांक 19.11.2024 से प्रदान की गई है तथा आपके द्वारा उक्त वृक्षों के पातन से पूर्व उक्त वृक्षों के मूल्यांकन हेतु अनुरोध किया गया उक्त प्रकरण की जांच वन क्षेत्राधिकारी, चौहड़पुर रेंज के पत्रांक-447/9, दिनांक 27.11.2024 द्वारा जांच आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गई है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि कृषि उत्पादन मण्डी समिति, विकासनगर के परिसर में गोदाम एवं कोल्ड स्टोर निर्माण कार्य में 18 आम के हरे वृक्ष बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। उक्त रिपोर्ट के आधार पर वृक्ष का मूल्यांकन निम्न प्रकार आंका गया है-

क्र० सं०	प्रजाति/प्रकृति	गोलाई (मी०)	व्यास वर्ग	श्रेणी	आयतन (घ०मी०)	वृक्षों की सं०	गुणांक	दर	धनराशि
1	आम हरा खड़ा	1.40	4-5	U	0.890	3	1/3	5742.00	5742.00
2	आम हरा खड़ा	1.15	3-4	U	0.460	2	1/3	2871.00	1914.00
3	आम हरा खड़ा	1.40	4-5	F	0.890	1	2/3	5742.00	3828.00
4	आम हरा खड़ा	1.30	4-5	F	0.890	1	2/3	5742.00	3828.00
5	आम हरा खड़ा	1.10	3-4	U	0.460	1	1/3	2871.00	957.00
6	आम हरा खड़ा	1.45	4-5	U	0.890	3	1/3	5742.00	5742.00
7	आम हरा खड़ा	1.20	3-4	U	0.460	2	1/3	2871.00	1914.00
8	आम हरा खड़ा	1.90	6-7	U	2.190	1	1/3	14467.00	4822.00
9	आम हरा खड़ा	1.10	3-4	F	0.460	1	2/3	2871.00	1914.00
10	आम हरा खड़ा	2.25	7-8	U	3.040	1	1/3	21632.00	7210.00
11	आम हरा खड़ा	2.20	6-7	F	2.190	1	2/3	14467.00	9645.00
12	आम हरा खड़ा	0.85	2-3	U	0.140	1	1/3	675.00	225.00
कुल योग						18	वृक्ष		47741.00

उक्त वृक्षों की निकासी हेतु पृथक से उच्चतम बोलीदाता को ऑनलाईन आवेदन करना होगा।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
भू०सं० वन प्रभाग, कालसी।

प्रतिलिपि : उप-प्रभागीय वनाधिकारी, सहसपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : वन क्षेत्राधिकारी, चौहड़पुर रेंज को उनके पत्र संख्या-447/9 दिनांक 27.11.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,  
भू०सं० वन प्रभाग, कालसी।



फोन- 05944 - 250057 फैक्स - 250059  
वेबसाइट: <http://www.upsamandi.org>

निदेशालय  
उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड,  
मण्डी भवन, रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)

पत्रांक: उ०कृ०उ०वि०बो०/विकासनगर/2024- 1946


दिनांक: 07/12/2024

सचिव,  
कृषि उत्पादन मण्डी समिति,  
विकासनगर।

विषय- मण्डी समिति, विकासनगर परिसर में स्थित वृक्षों को कटवाने विषयक।

उपरोक्त विषयक समिति पत्रांक कृ०उ०म०स०/2024-25-1807 दिनांक 28.11.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, तराई वन प्रभाग, कालसी के कार्यालय पत्रांक 91 दिनांक 27.11.2024 में मूल्यांकन/पातन की सशर्त रिपोर्ट संलग्न करते हुये वृक्षों को पातन/नीलाम किये जाने की विभागीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया है।

अतः मण्डी स्थल, विकासनगर में कोल्ड स्टोरेज के निर्माण हेतु चयनित भूमि पर खड़े 18 आम के वृक्षों को कटवाने/नीलामी किये जाने की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती हैं कि उक्त वृक्षों को कटवाने/नीलामी किये जाने एवं परिवहन इत्यादि हेतु प्रचलित सभी सुसंगत अधिनियम एवं नियमावलियों एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का समुचित रूप से पालन किया जाना अनिवार्य होगा।



(निर्मला बिष्ट)  
महाप्रबन्धक (प्रशासन)

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि:-

- 1-प्रबन्ध निदेशक, महोदय उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, रुद्रपुर को सूचनार्थ।
- 2-प्रभागीय वनाधिकारी, तराई वन प्रभाग, कालसी।
- 3- उप महाप्रबन्धक(वि०/यॉ०)उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, देहरादून।

श्रीमती रेणु बत्रे वरुण

07-12-24

महाप्रबन्धक (प्रशासन)

## वर्गचालिय मुख्य उद्यान अधिकारी, देहरादून।

पत्रांक / सूक्ष्मपातन/२०२४-२०४ / दिनांक १९/११/२०२४  
 राधित कृषि उत्पादन मण्डी समिति विकासनगर देहरादून को पत्र सं० १०१५/क.उ.ग.रा.  
 /२०२४/दिनांक १०.११.२४ एवं मंडि समिति को निरीक्षण आख्या को आधार पर उत्तर  
 प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम-१९७६ (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्ति) की अधिनियम की  
 धारा-३(१) उपधारा(II) में प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न विवरणानुसार वृक्षों की  
 पातन अनुमति एतद सारा प्रदान की जाती है।

क्र.सं	प्रजाति	प्लॉट में कुल वृक्षों की संख्या	पातन वृक्षों का लकार (कॉ फिट में)	पातन वृक्षों की संख्या	प्रभारी की आख्या में अनुरार
१	आम	३२	४-५ फिट (१) आम ३-४ फिट (२) आम ७-० फिट (२) आम ४-५ फिट (१) आम ३-४ फिट (१) आम ४-५ फिट (३) आम ३-४ फिट (२) आम ६-७ फिट (१) आम २-३ फिट (१) आम	१५ आम	प्रभारी की आख्या में १८९ में १८ आम वृक्ष जो रातों को अवरुद्ध एवं जीव शीत होने के कारण पातन की संस्तुति के आधार पर। गिरावें ०९ फुट बाहरदीवारी के अन्दर, ०२ सड़क किनारे एवं ७ बाउण्ड्री के बाहर खड़े हैं।

- उक्त वृक्ष पातन की अनुमति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन दी जाती है।
१. पत्र जारी होने की तिथि से १५ दिन तक के लिए यह पातन अनुज्ञा वैध होगी। भू-स्वामी द्वारा निश्चित रूप से इस अवधि में उक्त वृक्षों का पातन करना होगा।
  २. पत्र जारी होने की तिथि से ०१ माह के अन्दर उक्त वृक्षों के पातन के पश्चात आवश्यकतानुसार उत्तराखण्ड इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज अभिवहन नियमावली-२०१२ के प्राविधानानुसार प्रकाश के निकारी हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
  ३. उक्त पेड़ों का पातन सूर्योदय से पहले व सूर्यास्त के बाद नहीं किया जायेगा।
  ४. उक्त पेड़ों के पातन स्थलों का निरीक्षण उद्यान विभाग के किसी भी क्षेत्रीय ज्ये०३०/नि०/प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र या नामित कर्मचारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।
  ५. उक्त पेड़ों के पातन हेतु भू-स्वामी द्वारा अपने आवेदन पत्र में किसी भी तथ्य का किसी भी समय असत्य पाये जाने पर पातन अनुज्ञा को रयतः ही निरस्त समझा जायेगा।
  ६. उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम-१९७६ (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्ति) की धारा-७ के प्राविधानानुसार प्रत्येक पातित वृक्ष के सापेक्ष दुगने संख्या में पौधों का रोपण चिन्हित स्थलों पर भू-स्वामी द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जायेगा। रोपित पौधों की देख-रेख सम्बन्धित भू-स्वामी द्वारा किया जायेगा। वृक्षारोपण हेतु स्थल घयन, प्रजाति का घयन, व रोपित पौध की जीवितता सम्बन्धित उद्यान विभाग के प्रभारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
  ७. उक्तानुसार भू-स्वामी द्वारा वृक्षारोपण कार्य करने में असमर्थता व्यक्त किये जाने की दशा में भू-स्वामी के व्यय पर विभागीय वृक्षारोपण कार्य किया जायेगा।
  ८. उक्तानुसार पातन स्थल पर किसी प्रकार की अवैध पातन के लिए भू-स्वामी स्वयं जिम्मेदार होगा। तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सम्बन्धित धाराओं में कार्यवाही अपनाई जायेगी।
  ९. उक्त पातन अनुज्ञा प्रभारी की संस्तुति एवं निरीक्षण उपरान्त निर्गत की गई है। उक्त वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में सम्बन्धित केन्द्र प्रभारी की पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
- उक्त शर्तों/प्रतिबन्धों के उल्लंघन होने की दशा में प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम-१९७६ (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्ति) की धारा-१५ की उपधारा(१) के अधीन कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

मुख्य उद्यान अधिकारी  
देहरादून।

पत्रांक ३२९४ /उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. सचिव कृषि उत्पादन मण्डी समिति विकासनगर देहरादून।
२. प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र विकासनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त वृक्षों का पातन अपने सम्मुख करवाना सुनिश्चित करें। अन्यथा की रियति में आपकी जिम्मेदारी नियत की जाती है।
३. यानाध्यक्ष विकासनगर देहरादून।
४. प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग कालसी जनपद देहरादून।

मुख्य उद्यान अधिकारी,  
देहरादून।

सुनील कुमार को १९/११/२४

१९-११-२४

